भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4923
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

एनएलएम के तहत नस्ल सुधार

4923. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत नस्ल सुधार प्रयासों के कारण प्रति पशु उत्पादकता में क्या परिणाम देखे गए हैं;

(ख) नए एनएलएम ढांचे के तहत चारा उत्पादन के लिए सामान्य चारागाह भूमि, अवक्रमित वन भूमि या बंजर भूमि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऊंटों, घोड़ों, गधों और खच्चरों को शामिल करने से इन पशुओं की प्रजनन दर या जनसंख्या स्थिरीकरण में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एनएलएम के हरे चारे पर विस्तारित फोकस के तहत चारा संसाधनों के विकास में स्वयं सहायता समूहों और धारा 8 कंपनियों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पशुधन बीमा के अंतर्गत वर्तमान 0.98% कवरेज के मुकाबले कुल पशु आबादी के 5% को कवर करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) वर्ष 2014-15 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधन और पुनर्संरेखण किया गया। संशोधित योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे विकास कार्यक्रम अम्ब्रेला के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडे और ऊन का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। दिनांक 21 फरवरी, 2024 को और संशोधन किए गए, जिसमें बंजर भूमि, चरागाह भूमि और अवक्रिमित वन भूमि का उपयोग करके चारा उत्पादन संबंधी पहलों के साथ-साथ ऊंट, घोड़े और गधे के नस्ल उन्नयन को शामिल किया गया है। विभाग ने जनवरी 2025 में संशोधित व्यापक एनएलएम दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और मॉडल डीपीआर को भी अंतिम रूप दिया है। दिशानिर्देश और मॉडल डीपीआर दोनों एनएलएम पोर्टल: https://nlm.udyamimitra.in/ पर उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत घटकों, जिसमें ऊंट, घोड़े, गधे और खच्चरों की आबादी भी शामिल है, पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।

पुनर्संरेखित एनएलएम के तहत कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें राजस्थान में ऊंटों पर एक दिवसीय कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के अमृत काल में पहला राष्ट्रीय बकरी सम्मेलन: बकरी महाकुंभ और भारतीय बकरी क्षेत्र के लिए नीति और रणनीतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, महाराष्ट्र में उद्यमिता विकास सम्मेलन वर्ष 2025 और मेघालय में "पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संवाद" विषय पर सम्मेलन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान, राज्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इन पहलों से संबंधित जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के अंतर्गत साइलेज, टीएमआर, घास (हे) और चारा ब्लॉक सहित पशु आहार और चारा प्रसंस्करण कार्यकलापों के लिए 106 व्यक्तियों, एक संयुक्त आवेदक, तीन एफपीओ, दो सहकारी समितियों, एक संयुक्त देयता समूह और तीन सेक्शन 8 कंपनियों के लिए 108.26 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 47.42 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 116 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। ये परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सेक्शन 8 कंपनियों के लिए अनुमोदित कुल परियोजना लागत 3.09 करोड़ रुपये है, जिसमें 1.46 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।

एनएलएम योजना के "गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता" घटक के अंतर्गत, 636.83 करोड़ रुपये की निधियों के साथ वर्ष 2021-22 से अब तक 1.03 लाख टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज का उत्पादन किया गया है, की निधि उपलब्ध कराई गई है। इससे लगभग 20.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने की उम्मीद है, जिससे पूरे देश में 1134.65 लाख मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला, पौष्टिक हरा चारा उत्पादित होने का अनुमान है।

(ङ) पशुधन बीमा को बढ़ावा देने के लिए, सभी श्रेणियों और क्षेत्रों हेतु प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा पहले के 20 से 50 प्रतिशत के प्रीमियम से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, अन्य राज्यों के लिए 60:40 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत वहन किया जाता है। पशुधन बीमा को बढ़ावा देने के लिए विभाग सक्रिय रूप से सेमिनार, शिविर, प्रचार अभियान और वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत, जागरूकता और प्रचार प्रयासों के लिए राज्यों को पूर्ण केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों को बीमा कवरेज बढ़ाने की सलाह दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के पशुधन बीमा कार्यकलाप के तहत 37.92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया है।

******